राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डीलक्स आगार, जयपुर।

क्रमांक–एफ / सामा / कार्य0 / निविदा / 2020 / 278 दिनांक– 14.5.2020

निविदा सूचना

डीलक्स आगार में निगम की उपलब्ध विभिन्न श्रेणी की वाहनों में लगे हैड रेस्ट कवर, पर्दे एवं स्लीपर बर्थ की दरी धुलाई कार्य तथा वाहनों की बाहर से धुलाई कार्य हेतु इच्छुक फर्म / व्यक्तियों से पृथक–पृथक सील बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्म / व्यक्ति कार्यालय समय में निविदा फॉर्म एवं शर्ते मुख्य प्रबन्धक, डीलक्स आगार, जयपुर के कार्यालय से दिनांक 03.06.2020 को दोपहर 02.00बजे तक निर्धारित शुल्क जमा कराकर प्राप्त कर सकते है। फॉर्म / शर्ते राज्य उपापन पोर्टल एवं निगम वेबसाईट पर भी उपलब्ध है। निविदायें दिनांक 03.06.2020 को मध्यान्ह पश्चात 03.00बजे तक मुख्य प्रबन्धक, डीलक्स आगार, जयपुर के कक्ष में जमा करायी जा सकती है। प्राप्त निविदायें उसी दिन उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष 03.30बजे खोली जावेगी।

(अनुपमा सारस्वत)
मुख्य प्रबन्धक, डीलक्स आगार।

Scanned with CamScanner

मुख्य प्रबंधक
रा. रा. प. परि. निगम
डीलक्स आगार, जयपुर

निविदा फार्म संख्या............
शुल्क रूपये 500—00

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डीलक्स आगार, जयपुर।

डीलक्स आगार की वाहनों के हैडरेस्ट कवर, पर्दे एवं गलीचे धुलाई कार्य हेतु निविदा—फॉर्म

1	आवेदनकर्ता का नाम/फर्म का नाम	
2	आवेदनकर्ता का स्थाई पता	
3	आवेदनकर्ता का दूरभाष/मोबाईल नंबर	
4	आवेदनकर्ता का पत्र व्यवहार का पता	
5	आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन फॉर्म हेतु निगम कोष में जमा करायी गयी राशि 500रू की रसीद संख्या/दिनांक	
6	हैड रेस्ट कवर धुलाई की दर, प्रति कवर	
7	पर्दा धुलाई की दर, प्रति पर्दा	
8	गलीचा धुलाई की दर, प्रति गलिचा	
9	वोल्वो/स्कैनिया वाहनों की पर्दा धुलाई दर	

निविदा की शर्तें—

1. निविदादाता को निविदा धरोहर राशि 5000रूपये निविदा के साथ जमा करानी होगी। निविदा आवेदन—पत्र स्वीकार किये जाने की स्थिति में कार्य की वार्षिक लागत की 5प्रतिशत प्रतिभूति राशि निगम कोष में जमा करानी होगी, जिसमें निविदा के साथ जमा बयान राशि में समायोजन योग्य होगी।
2. धरोहर/प्रतिभूति राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
3. धुलाई कार्य के देयक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
4. धुलाई कार्य हेतु पर्दे, गलीचे प्रबन्धक (संचालन)/प्रभारी, डीलक्स आगार कार्यशाला द्वारा चालान के जरिये प्राप्त करने होगें।
5. धुलाई के पश्चात पर्दे—गलीचे फटने/खोने की स्थिति में भुगतान योग्य राशि में से पर्दे व गलीचे की लागत वसूल की जावेगी।
6. निविदादाता को वाहन के पर्दे व गलीचे, पारी प्रभारी के निर्देशानुसार संबंधित वाहनों से उतारने व लगाने होगें।
7. निविदादाता को वाहन के पर्दे व गलीचे हेतु कार्यशाला से ले जाते समय एवं वापिस धुलाई के पश्चात जमा कराते समय उनकी स्थिति के संबंध में प्रमाणिकरण करवाया जाना आवश्यक होगा। यह प्रमाणिकरण संबंधित पारी प्रभारी/प्रबंधक (संचालन) का मान्य होगा। इस कार्य हेतु पंजिका संधारित करनी होगी।
8. गन्दे पर्दे धुलाई हेतु ले जाने के बाद दूसरे दिन धोकर कार्यशाला में उपलब्ध करवाने होगें।
9. प्रत्येक वाहन से उतारे व लगाये जाने वाले पर्दो की संख्या का प्रमाणिकरण, प्रत्येक शिफ्ट के संबंधित पारी प्रभारी द्वारा करवाया जाना आवश्यक होगा।
10. निविदादाता को किसी बड़ी फर्म या संस्था से कार्य करने का अनुभव होना चाहिये।
11. धुलाई के पश्चात वाहन चैक करने पर पर्दे व गलीचे गन्दे पाये जाने पर 100रू प्रति की दर से पैनल्टी देयक से वसूली योग्य होगी।
12. कार्य संतोषजनक नहीं होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के ठेका समाप्त कर दिया जावेगा तथा प्रतिभू राशि जब्त कर ली जायेगी।
13. पर्दे की धुलाई साप्ताहिक रूप से कर पर्दे पुनः बस में फिट करने होगें।
14. वाहनों की बैक रेस्ट कवर की धुलाई का कार्य निगम द्वारा आवश्यकता होने पर करवाया जावेगा।
15. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत सशर्त आवेदन—पत्र स्वीकार्य नहीं होगें।
16. एक वर्षीय ठेका अवधि पूर्ण होने पर अनुबन्ध अवधि दोनों पक्षों की सहमति से पुनः 6 माह हेतु वृद्धिकृत की जा सकेगी।
17. सभी प्रकार के करों का भुगतान एवं श्रम कानूनों की पालना करने का दायित्व निविदिदाता का होगा। निविदादाता के देयक से नियमानुसार उसके कार्यरत श्रमिकों की सीपीफ/ईएसआई/आयकर व अन्य देय टैक्स की नियमानुसार संबंधित विभाग द्वारा तय दरों पर कटौती की जावेगी। निविदादाता को देय भुगतान दर पर देय सर्विस टैक्स एवं शेष अन्य किसी प्रकार के कर के भुगतान का दायित्व निविदादाता का ही रहेगा।

मैं/हम घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि आवेदन—पत्र में अंकित शर्तें/प्रावधान हमें स्वीकार है, जिन्हें पूर्णतः पढ़कर एवं समझकर स्वीकारोक्तिस्वरूप हस्ताक्षर किये है।

हस्ताक्षर

(आवेदनकर्ता)

Scanned with CamScanner

मुख्य प्रबन्धक
रा. रा. प. प. नि.
डीलक्स आगार जयपुर।

निविदा फार्म संख्या.............
शुल्क रुपये 200—00

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डीलक्स आगार, जयपुर।

सुपर लग्जरी/ऐ0सी0/डीलक्स वाहनों की बाहर से धुलाई—सफाई कार्य हेतु निविदा—फॉर्म

1	आवेदनकर्ता का नाम/फर्म का नाम	
2	आवेदनकर्ता का जी0एस0टी0/आधार नंबर	
3	आवेदनकर्ता का स्थाई पता	
4	आवेदनकर्ता का दूरभाष/मोबाईल नंबर	
5	आवेदनकर्ता का पत्र व्यवहार का पता	
6	आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन फॉर्म हेतु निगम कोष में जमा करायी गयी राशि 200रू की रसीद संख्या/दिनांक	
7	सुपर लग्जरी/ऐ0सी0/डीलक्स वाहनों की बाहर से धुलाई एवं सफाई की दर प्रति वाहन	

निविदा की शर्तें—

1. निविदादाता को निविदा धरोहर राशि 10,000रूपये निविदा के साथ जमा करानी होगी। वाहनों की धुलाई—सफाई हेतु वॉशिंग पाउडर, पानी—बिजली की व्यवस्था निगम द्वारा की जावेगी।
2. सुपर लग्जरी वाहनों की बाहरी बॉडी पर विशेष रूप से चित्रकारी अंकित है, अतः धुलाई—सफाई इस प्रकार करनी होगी कि उक्त पेंटिंग का मूल स्वरूप बना रहे। पेंटिंग खराब होने पर ठेकेदार से वसूली की जावेगी।
3. वाहनों की धुलाई के दौरान वाहन के आगे एवं पीछे से वॉशिंग पाउडर एवं पानी से वाहन की धुलाई करनी होगी।
4. वाहनों की बाहर से धुलाई करने के पश्चात सम्पूर्ण वाहन (समस्त शीशों विण्डो ग्लास इत्यादि सहित) को कपड़े से साफ करना होगा।
5. वाहनों की धुलाई—सफाई हेतु फोम, ब्रुश/सूती कपड़े का ही उपयोग करना होगा।
6. कार्यशाला का संचालन हड़ताल या अन्य आकस्मिक कारणों से बन्द रहने पर उन दिवसों में वाहनों की धुलाई—सफाई कार्य न होने से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
7. प्रतिदिन 2 वाहनों के ईंजन व चैसिस की नीचे से धुलाई—सफाई करनी होगी।
8. तीनों पारियों में जाने वाली वाहनें धुलाई व सफाई कर ही भेजनी होगी, इसके लिये आवश्यकतानुसार सफाई कर्मचारियों की पारी वाईज ठेकदार की व्यवस्था करनी होगी।
9. वाहनें गन्दी पाये जाने पर अथवा वाहन की धुलाई/सफाई की शिकायत प्राप्त होने पर प्रति वाहन 100रू पैनटी ठेकेदार से वसूली की जावेगी। फर्म/ठेकेदार को देय भुगतान में से नियमानुसार आयकर, ई0एस0आई0 व सी0पी0एफ0 की कटौती कर भुगतान किया जावेगा तथा अन्य किसी प्रकार के टैक्स की देयता का दायित्व फर्म/ठेकेदार का ही रहेगा।
10. निविदादाता द्वारा निगम के विरूद्ध किसी प्रकार का न्यायिक प्रकरण/वाद दायर किया हुआ होने की स्थिति में आवेदन—पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
11. फर्म के देयक से नियमानुसार उसके कार्यरत श्रमिकों की सीपीएफ/ईएसआई/आयकर व अन्य देय टैक्स की नियमानुसार संबंधित विभाग द्वारा तय दरों पर कटौती की जावेगी। फर्म के भुगतान पर देय जी0एस0टी0 एवं शेष अन्य किसी प्रकार के कर के भुगतान का दायित्व अनुबन्धकर्ता फर्म का ही रहेगा।
12. कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के ठेका समाप्त कर दिया जावेगा व धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।

मैं/हम घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि आवेदन—पत्र में अंकित शर्तें/प्रावधान हमें स्वीकार है, जिन्हें पूर्णतः पढ़कर एवं समझकर स्वीकारोक्तिस्वरूप हस्ताक्षर किये है।

हस्ताक्षर

(आवेदनकर्ता)

Scanned with CamScanner